

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 323/2026

Saranjeet Kaur W/o Mandar Singh, Aged About 32 Years, R/o
Secondary School Ke Pass, Jogiwala Road, Kasba Dabwali, Police
Station Dabwali City, Tehsil Dabwali, District Sirsa, Haryana.
(At Present Lodged At Sub Jail Churu)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री जयपाल सिंह
For Respondent(s)	:	श्री ऊर्जाराम कलवी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— तारानगर, जिला— चूरु में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—271/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 103(2), 238(बी), 329(4), 191(2), 190 भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को धारा 103(2), 238(बी), 329(4), 315 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान करने के उपरांत मुख्यतः अन्य सहअभियुक्तगण गोविन्दराम, राकेश कुमार व सुरेश कुमार के संदर्भ में स्पष्टतः यह निष्कर्ष निष्पादित किया है कि भगवानाराम के साथ गोविन्दराम, राकेश कुमार व सुरेश कुमार ने मिलकर मारपीट की है और काफी देर तक तारों से बने हुए हेंटर व लकड़ी के डंडे से मारपीट की गयी है, इस संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस प्रकार का

कोई निष्कर्ष प्रार्थीया/अभियुक्ता के संदर्भ में निष्काषित नहीं किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता उक्त मारपीट में सकारात्मक रूप से सम्मिलित हो और उसने मारपीट में सक्रिय रूप से भाग लिया हो। उनका यह भी कथन है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त गोविन्दराम के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है जिसमें प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा फोटो व मारपीट का वीडियो बनाना उल्लेखित किया गया है। इस संदर्भ में उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में सात व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट मारपीट के तथ्यों के संदर्भ में परिवादी सुनील कुमार द्वारा लेखबद्ध करवायी गयी थी, परंतु पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरांत अन्य सहअभियुक्तगण गोविन्दराम, राकेश कुमार व सुरेश कुमार के विरुद्ध ही धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के संदर्भ में यह स्पष्ट निष्कर्ष निष्काषित किया गया है कि उसके द्वारा घटना की वीडियो बनायी गयी है, इस संदर्भ में अन्य नामजद व्यक्तियों में दिनेश, नन्दलाल, भोलूराम माली व अन्य 6-7 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर जो वीडियो बना है उसमें भी उपरोक्त तीनों सहअभियुक्तगण द्वारा मृतक से मारपीट करना दर्शित हो रहा है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना अभिलेख पर नहीं पाया गया है, प्रार्थीया/अभियुक्ता दिनांक 05.09.2024 से अभिरक्षा में चल रही हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता महिला है, हत्या करने के कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उसके संदर्भ में नहीं है। गवाह पीडब्ल्यू 01 सुनील कुमार के न्यायालय के समक्ष कथन लेखबद्ध हो चुके हैं जिसमें उसने प्रार्थीया/अभियुक्ता के अतिरिक्त दिनेश, नन्दलाल, भोलूराम माली व अन्य 6-7 व्यक्तियों के द्वारा भी मृतक से मारपीट करना बताया है। उपरोक्त साक्षी के कथन की पुष्टि संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों से नहीं होती है और वीडियो में भी प्रार्थीया/अभियुक्ता, दिनेश, नन्दलाल, भोलूराम माली के द्वारा भी मारपीट करने के तथ्य नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता मौके पर उपस्थित थी, इस तथ्य की पुष्टि उसके द्वारा बनाये गये वीडियो से होती है। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा इस प्रकार कोई प्रयास नहीं किया गया है कि जिसमें वह मृतक को बचाये या मृतक के संदर्भ में मारपीट करने तथ्य आस-पड़ोस वालों को बताये। इस प्रकार प्रार्थीया/अभियुक्ता की घटनास्थल पर उपस्थिति और उसका अपराध में सहयोग स्पष्ट रूप से गोविन्दराम के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो से होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। आरोप पत्र, पत्रावली एवं चक्षुदर्शी साक्षी गवाह पीडब्ल्यू 01 सुनील कुमार के कथनों का अवलोकन किया गया।

आरोप पत्र में पुलिस द्वारा स्पष्ट रूप से तीन अभियुक्तगण अर्थात् गोविन्दराम, राकेश कुमार व सुरेश कुमार द्वारा मृतक के साथ मारपीट करना दर्शित किया गया है। आरोप पत्र में अन्य नामजद व्यक्ति दिनेश, नन्दलाल, भोलूराम व 6-7 व्यक्तियों के संदर्भ में कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है और न ही आरोप पत्र में उन्हें मुल्जिम बनाया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्ट निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता की मृतक के साथ मारपीट होने के संदर्भ में वीडियो में कोई साक्ष्य नहीं होने के आधार पर एवं प्रार्थीया/अभियुक्ता की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **सरनजीत कौर पत्नी मन्दर सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व

पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

13-Dhanraj Jajoria /-